छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 5 फरवरी, 2014 (माघ 16, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स, नाम-निर्देशित सदस्य शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर उपरांत सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम,2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 **पटल पर रखेंगी.**

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश के स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा में व्याप्त अनियमितता की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य, चांपा नगर के रेल्वे कालोनी निवासी छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये कार्य योजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 4 फरवरी, 2014

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.